बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
<u>आदेश</u>

पटना, दिनांक– .....

संचिका सं0–03/आ01–279/2026...../ श्रीमती रूबी कुमारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, किशनगंज के विरूद्ध आर्थिक अपराध ईकाइ (ईओयू), पटना द्वारा आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियाँ अर्जित करने के संबंध में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या–31/26 दिनांक 02.11.2026 दर्ज है।

2. श्रीमती रूबी कुमारी द्वारा भ्रष्टाचार एवं गैर कानूनी तरीके से प्रत्यानुपातिक धनार्जन करना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) के प्रावधानों के विपरीत है।

3. उपर्युक्त कृत्य के लिए रूबी कुमारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, किशनगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1) (ग) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा कार्यालय है तथा निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों के तहत जीवन निर्वाह–भत्ता देय होगा।

4. आरोप पत्र एवं अनुशासनिक कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(विजय कुमार पाण्डेय)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक : 03/आ01–279/2026.....48..... पटना, दिनांक 20/11/2026

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास

निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा0शि0)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं श्रीमती रूबी कुमारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, किशनगंज (निलंबन मुख्यालय – क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा कार्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.11.W

निदेशक (प्रशासन)